महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226007

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com **ई-मेल:** upefaspo@gmail.com **दूरभाष:** 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

1– जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

2– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक/ महा0नि0/एम0आई0एस0/ /2025–26 **दिनांक : 03 जुलाई, 2025**

विषय : शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु यू–डायस+ पोर्टल पर स्टूडेण्ट डाटा प्रोग्रेशन/फीडिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

यू–डायस 2024–25 की गतिविधि समाप्त होने के उपरान्त सत्र 2025–26 के लिये स्टूडेण्ट प्रोफाइल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी का लिंक **दिनांक 25.06.2025** को एन0आई0सी0 नई दिल्ली द्वारा कियाशील किया जा चुका है। स्टूडेण्ट प्रोग्रेशन के कार्य को पूर्ण 15 दिवस के अन्दर पूर्ण किये जाने के निर्देश किये गये थे। प्रोग्रेशन का कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण होने के उपरान्त ही विद्यालय स्तर पर नवीन नामांकन (प्री–प्राइमरी व कक्षा–1) का कार्य किया जा सकेगा।

अस्तु शैक्षिक सत्र 2025–26 के सम्बन्ध में यू–डायस+ पोर्टल पर फीडिंग का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाना है। यू–डायस पोर्टल पर डाटा को समृद्ध किये जाने हेतु कतिपय बदलाव किये गये है। इस हेतु यह आवश्यक है कि जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाएं यू–डायस+ पोर्टल पर पंजीकृत हों एवं उनको यू–डायस कोड आवंटित हो। साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही **अग्रिम 15 दिवसों** में पूर्ण कर ली जाये :–

1– कतिपय विद्यालयों के सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि उनके संबंध में विद्यालय प्रोफाइल में अंकित विवरण त्रुटिपूर्ण है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक है कि विद्यालय स्तर से विद्यालय प्रोफाइल में अंकित बिंदुओं की पुष्टि कराते हुए यथा आवश्यक संशोधन चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। अतः उपरोक्त सम्बन्ध में जिला समन्वयक (एम0आई0एस0)/ई0एम0आई0एस इंचार्ज द्वारा विकास खण्ड स्तरीय बैठक शीघ्र ही आयोजित कर ली जाये, जिसमें उन्हें नये विद्यालय प्रोफाईल के सम्बन्ध में जानकारी दे दी जाए, जिससे प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रोफाईल से सम्बन्धित समस्त डाटा त्रुटिरहित डाटा की फीडिंग करायी जा सके। किसी भी त्रुटिपूर्ण/गलत डाटा की स्थिति में सम्बन्धित के प्र0अ0/ प्रधानाचार्य उत्तरदायी होगें।

2– भारत सरकार द्वारा इस बार यू–डायस+ डी0सी0एफ0 भरने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव गतवर्ष किया गया था, जिसमें वर्ष 2024–25 में विद्यालय मे अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं के कतिपय विवरण यथा–उनके नाम, उनकी जन्म तिथि, उनके अभिभावकों के नाम, उनकी आधार संख्या इत्यादि डी०सी०एफ० में भरी गयी है, जिसके आधार पर उनके पेन नम्बर भी भारत सरकार द्वारा सृजित किये गये है।, जिसके आधार पर विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं के प्रोग्रेशन/इंपोर्ट किये जाने की कार्यवाही भी यू–डायस पोर्टल पर ससमय पूर्ण की जानी है।

3– गतवर्ष के डाटा में प्री–प्राइमरी/प्ले ग्रुप संचालन वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों यथा किंडरगार्टेन, किड्जी आदि में अध्ययनरत छात्रों की सूचनाएं अंकित नहीं की गयी। अस्तु शैक्षिक सत्र 2025–26 में ऐसे विद्यालयों का कवरेज अनिवार्य रूप से किया जाये। साथ ही प्री–प्राइमरी व कक्षा–1 में नवीन नामांकन करते समय डाटा को एक बार चेक कर लिया जाये कि उस छात्र/छात्रा का विवरण पोर्टल में पूर्व से अंकित तो नहीं हे? यदि है तो उस छात्र/छात्रा के विवरण को इंपोर्ट किया जाये, जिससे स्टूडेण्ट डुप्लीकेसी नही होगी।

4– पोर्टल में विद्यालयों के प्रबन्धन (मैनेजमेण्ट) का विभागीय सूचनाओं से मिलान कर सही–सही अंकन किया जाये। विशेषकर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, ट्राइबल वेलफेयर वाले विद्यालय, मदरसा विद्यालय, तथा लोकॅल बाडी वाले विद्यालय जिनकी सूचनाएं गतवर्ष में त्रुटिपूर्ण थी, उन्हें चिन्हित कर सही किया जाये।

638

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

Scanned with OKEN Scanner

5– इसी प्रकार विद्यालयों की कैटेगरी का विभागीय सूचनाओं से मिलान कर सही–सही अंकन किया जाये। विशेषकर ऐसे विद्यालय जिनका उच्चीकरण हुआ हो, की सूचनाएं गतवर्ष में त्रुटिपूर्ण थी, उन्हें चिन्हित कर सही किया जाये।

6– शैक्षिक सत्र 2025–26 में विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर यथा शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण, फर्नीचर इत्यादि सम्बन्धी सूचनाओं को त्रुटिरहित कराना सुनिश्चित करें।

7– शैक्षिक सत्र 2025–26 में विद्यालयों के किटिकल इंडीकेटर्स को त्रुटिरहित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एल0जी0डी0 मैपिंग का कार्य भी अद्यावधिक किया जाये।

अतः शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये यू–डायस+ पोर्टल पर 2025–26 के डाटा का प्रोग्रेशन/फीडिंग/अपडेशन की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त गतिविधि समयबद्ध व महत्वपूर्ण है। कृपया उपरोक्त कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

पृ0सं0/महा0नि0/एम0आई0एस0/ 2292 /2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सभी जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को जनपद स्तर से सभी मदरसा विद्यालयों की नियमित समीक्षा करते हुए यू–डायस+ का कार्य ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जनपद स्तर से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की नियमित समीक्षा करते हुए यू–डायस+ का कार्य ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, कैम्प कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को यू–डायस+ का कार्य ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यू–डायस+ का कार्य ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. अपर राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ को अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
10. संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
11. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
12. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
13. जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश।

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

Scanned with OKEN Scanner